



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अगस्त, 2026

श्रावण 19, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 222/49-1-2026

लखनऊ, 10 अगस्त, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0-52

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 130 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (बासठवाँ संशोधन) नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (बासठवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2026 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम 254 के विद्यमान उपनियम (8) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- नियम 254 का संशोधन

स्तम्भ-एक**(विद्यमान उपनियम)**

(8) वाहन की सुविधा- अध्यक्ष राज्य सरकार के खर्चे पर स्टाफ कार का हकदार होगा और प्रत्येक सदस्य छः सौ रुपये प्रतिमाह के वाहन भत्ते का हकदार होगा।

स्तम्भ-दो**(एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)**

(8) वाहन की सुविधा- अध्यक्ष राज्य सरकार के खर्चे पर स्टाफ कार का हकदार होगा और प्रत्येक सदस्य हेतु एक यान चालक एवं ईंधन सहित रुपये 45000 (रुपये पैतालिस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से (नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी) अथवा जेम पोर्टल से यान सेवाओं की आउटसोर्सिंग के कारण प्रतिस्पर्धी निम्नतर दर, जो भी कम हो, पर किराये के आधार पर अनुमति दी जायेगी:

परन्तु यह कि यान किराये पर लेने के लिए ऊपर उल्लिखित दर और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी यान उपलब्ध कराये जाने के मामले में किराये के यान की अनुज्ञेयता स्वतः रद्द हो जायेगी।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 222 /XLIX-1-2026, dated August 10, 2026 :

No. 222 /XLIX-1-2026

Dated Lucknow, August 10, 2026

IN exercise of the powers under section 130 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968, namely:-

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SIXTY-SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Sixty-second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Rule 254

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 for the existing sub-rule (8) of Rule 254 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I*(Existing sub-rule)*

(8) Facility of conveyance- The Chairman shall be entitled to a staff car and each member shall be entitled to conveyance allowance of rupees six hundred per mensem.

COLUMN-II*(Sub-rule as hereby substituted)*

(8) Facility of conveyance- The Chairman shall be entitled to a staff car at the expense of the State Government and one vehicle for each Member shall be allowed on the basis of hiring at the rate of Rs. 45,000/- (Rupees forty five thousand only) per month including driver and fuel (GST will be payable extra as per rules) or at the competitive lowest rate on account of vehicle services outsourcing from GeM portal, whichever is lower:

Provided that the above mentioned rate and procedure for hiring the vehicle shall be such as may be determined by the State Government from time to time in that context:

Provided further that in case of providing a Government vehicle by the State Government, the permissibility for hiring the vehicle shall automatically stand cancelled.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Pramukh Sachiv.